FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ग्राम अकबरपुर

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम गोपाल / गिर्राज जाति मीणा

मुकदमा धारा 91 L R Act नं. 287/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/3/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 5/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
5/3/18	पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी की ओर से राकेश पुत्र उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 7/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	राकेश
7/3/18	पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी को आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से राकेश (पुत्र) उपस्थित आया है। अतिक्रमी के पुत्र द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम अकबरपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	राकेश (पुत्र)

मिसल नम्बर:- 287/18 तारीक रजु 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कमालपुर बनाम गोपाल पुत्र गिरिज जाति मीणा निवासी अकबरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–अधिनियम 1956

निर्णयः–

दिनांकः– 7/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री गोपाल ने ग्राम अकबरपुर को भूमि ख.न. 32 रकबा 0.05 किस्म चरागाह फसल सरसों रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में सरसों कर अतिकमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा ~~शपथ पत्र~~/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिकमित रकबा को छोडने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिकमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिकमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिकमित आराजी ख.न. 32 रकबा 0.05 किस्म चरागाह वाके ग्राम अकबरपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिकमित भूमि के वार्षिक लगान का 2.20 का 50 गुणा 110 रु. शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिकमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार
तहसील–महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/व के पेज नं0 84 पर वर्ष 2017-18 में जैनाकी फसल नीलामी की राशि तादाद रुपये 110 रु. पै0.... की जमा कायमी की गई। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील–महवा
दिनांक 20/3/18